

## कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर

कोलडिपो परिसर, पानीपेच झोटवाडा रोड, जयपुर

क्रमांक : एफ ( ) FCA/उवसवजी/2023-24/ 5474

दिनांक :- 21/9/23

निमित्त:-

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए)  
राजरथान जयपुर

विषय:- वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli, Newal Maksundanpura, Chawandiya, District -Jaipur (Rajasthan) proposal no FP/RJ/ROAD/151862/2022 के संबंध में गैर वन भूमि उपलब्ध कराने बाबत।

सन्दर्भ:- आप का पत्रांक 6680-81 दिनांक 10.07.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा पाई गई निम्न कमियों की पूर्ति कर रिपोर्ट श्रीमान को अवाश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क. सं.	विवरण
1	जिला कलेक्टर द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि प्रस्तुत करने के आदेश जारी नहीं किये गये है हालांकि यूजर एजेन्सी द्वारा उप खण्ड अधिकारी द्वारा आलोच्य प्रकरण में 3.4764 हैक्टर गैर वन भूमि दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी है जबकि प्रस्तावित वन भूमि 3.5568 है० है। समतुल्य गैर वन भूमि दिया जाना प्रस्तावित है।
2	वर्तमान सडक 1980 से पूर्व की बनी हुई है इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
3	प्रस्ताव में राजस्व मैप पर अंकन नहीं किया गया है।
4	प्रस्ताव में अभयारण्य क्षेत्र में पडने वाली गैर वन भूमि एवं वन भूमि का पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है।
5	अभयारण्य क्षेत्र में सडक की चौड़ाईकरण का प्रस्ताव है किन्तु यूजर एजेन्सी द्वारा अभी तक वन्यजीव स्वकृति हेतु आवेदन नहीं किया गया है। कारण स्पष्ट किया जाना है।
6	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट 2 के बिन्दु संख्या 4 में वन घनत्व सही अंकित नहीं किया गया है।
7	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट 2 के बिन्दु संख्या 5 में वन्यजीव प्रबंध योजना के प्रावधानों का विवरण संलग्न नहीं किया गया है।
8	उप वन संरक्षक द्वारा एन.पी.वी गधना प्रमाण पत्र, प्रस्तावित वन भूमि का नोटिफिकेशन की प्रति, काटे जाने वाले पेड़ों की स्थिति, गैर वन भूमि का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये गये है।
9	उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित वन भूमि

Signature valid

Digitally signed by S. Popat Pawar  
Designation : Deputy Conservator Of Forest  
Date: 2023.09.21 15:35:19 IST  
Reason: Approved

V:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet

4766243\_668229605734958219.docx

RajKaj Ref No. : 4766243



	के अभयारण्य क्षेत्र में पड़ने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।	स्थित है।
10	उप वन संरक्षक द्वारा अपनी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वृक्षों को बचाने हेतु एलायमेंट में बदलाव कराने की शर्त पर अभिशंषा की गयी है किन्तु यूजर एजेन्सी द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया है। एलायमेंट का पूर्ण निरीक्षण किया जाकर ही संशोधित प्रस्ताव किया जावे।	इस कार्यालय द्वारा जारी के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत उत्तर अनुसार उल्लेखित सड़क पूर्व में प्रचलित मार्ग होने के कारण संरक्षण संशोधित करना असंभव बताया है।

भवदीय

(सागर पवार, IFS)

उप वन संरक्षक

वन्यजीव जयपुर

दिनांक :-

क्रमांक : एफ ( ) FCA/उवसवजी/2023-24/

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिसका बाघ परियोजना अलवर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
 उप वन संरक्षक  
 वन्यजीव जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Saagar Pawar

Designation : Deputy Conservator Of

Forest

Date: 2023.09.23 10:35:19 IST

Reason: Approved

V:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\

4766243\_668229605734958219.docx

RajKaj Ref No. : 4766243

